सूचना पत्रक 13
कर्मी और स्वयंसेवक और आचरण शिकायत योजना

प्रयोजन

इस सूचना पत्रक का प्रयोजन आचरण शिकायत योजना (योजना) के बारे में कर्मियों और स्वयंसेवकों (आपको) मार्गदर्शन देना है, विशेष रूप से यदि आपके ऊपर शिकायत का आरोप लगाया गया है।

आचरण शिकायत योजना के बारे में

इस योजना का प्रयोजन संगठनों के कर्मियों और स्वयंसेवकों द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा के आरोपों के प्रति संगठनों की प्रतिक्रियाओं को बेहतर करना है। यह योजना *बाल कल्याण और सुरक्षा अधिनियम 2005 (Child Wellbeing and Safety Act 2005)* के तहत स्थापित की गई है।

इस योजना के तहत संगठनों के प्रमुखों को अपने कर्मियों और स्वयंसेवकों द्वारा बच्चे को शामिल करने वाले कुछ प्रकार के आचरण के आरोपों के बारे में बाल और युवा लोगों के लिए आयोग (आयोग) [Commission for Children and Young People (the Commission)] को सूचित करना चाहिए।

कर्मियों और स्वयंसेवकों के बारे में आरोपों की सूचनी तब भी दी जानी चाहिए, यदि:

- उनका अपने कार्य के भाग के रूप में बच्चों के साथ सीधा संपर्क नहीं है
- आचरण कार्यस्थल के अंदर या बाहर घटित हुआ।

इसके बाद संगठनों के प्रमुखों को इन आरोपों की जाँच करनी होती है।

इस योजना में किस प्रकार के कर्मी और स्वयंसेवक शामिल हैं?

यह योजना 18 वर्ष की आयु से अधिक ऐसे किसी भी व्यक्ति के आचरण के लिए लागू होती है, जिसे इस योजना के अंतर्गत आने वाले संगठन द्वारा नियोजित या नियुक्त किया गया है। इनमें शामिल हैं:

- योजना के तहत आने वाले संगठन द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए सीधे नियुक्त किए गए स्वयंसेवक, ठेकेदार, कार्यालय धारक, अधिकारी या अन्य पद
- दत्तक देखभालकर्ता या संबंधी
- धार्मिक गुरु, धार्मिक अग्रणी या किसी धार्मिक निकाय के अधिकारी।

उपरोक्त लोगों का वर्णन करने के लिए आयोग 'कर्मी और स्वयंसेवक' शब्द का उपयोग करता है।

आप जिस संगठन के लिए कार्य या स्वयंसेवा करते/करती हैं, यदि वह योजना के दायरे में आता है तो आपका आचरण भी योजना के दायरे में आता है।

योजना के दायरे में आने वाले संगठनों के बारे में और अधिक जानकारी आयोग की वेबसाइट पर मिल सकती है।

शिकायत करने योग्य आचरण क्या है?

शिकायत करने योग्य आचरण पांच प्रकार के होते हैं:

1. यौन अपराध
2. यौन दुराचार
3. शारीरिक हिंसा
4. किसी बच्चे को गंभीर भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार
5. किसी बच्चे की गंभीर उपेक्षा।

यदि बच्चे के साथ, उसके प्रति या उसकी उपस्थिति में यौन अपराध, यौन दुराचार और शारीरिक हिंसा घटित होती है, तो ये आचरण इस योजना के दायरे में आते हैं।

⚠ 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा होता है।

⚠ शिकायत करने योग्य आचरण में केवल आपराधिक कृत्यों के अतिरिक्त अन्य बातें भी शामिल हैं।

आयोग की क्या भूमिका है?

आयोग की भूमिका में शामिल हैं:

- रिपोर्ट करने योग्य आरोप पर प्रतिक्रिया करने वाले संगठन को एक निष्पक्ष और उचित प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए समर्थन और मार्गदर्शन देना
- रिपोर्ट करने योग्य आरोपों के लिए संगठनों की प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्र रूप से निगरानी व निरीक्षण करना और यथोचित रूप से प्रतिक्रियाओं में सुधार करने के लिए सलाह देना

- कुछ परिस्थितियों में *बच्चों के साथ कार्य करना अधिनियम 2005 (Working with Children Act 2005)* के तहत बच्चों के साथ कार्य करने के लिए जाँच के पुनराकलन के समय शिकायत करने योग्य आचरण की घटना होने के बारे में न्याय और समुदाय सुरक्षा विभाग के सचिव (Secretary to the Department of Justice and Community Safety) को सूचित करना
- कुछ परिस्थितियों में शिकायत करने योग्य आचरण की घटना होने के बारे में अन्य नियामकों [जैसे विक्टोरिया सरकार के विभागों और ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य व्यवसायी विनियमन एजेंसी (Australian Health Practitioner Regulation Agency)] को सूचित करना एवं अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना
- यदि शिकायत करने योग्य आचरण जाँच के लिए किसी पंजीकृत शिक्षक को आरोपित किया जाता है और उसके बारे में निष्कर्ष हैं, तो विक्टोरियाई शिक्षण संस्थान (वीआईटी) [Victorian Institute of Teaching (VIT)] को सूचित करना।

शिकायत करने योग्य आरोप क्या होता है?

शिकायत करने योग्य आरोप जानकारी के आधार पर लगाया गया आरोप होता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को यथोचित रूप से यह विश्वास होता है कि किसी कर्मी या स्वयंसेवक ने ये कार्य किए हैं:

- रिपोर्ट करने योग्य आचरण, या
- दुराचार, जिसमें शिकायत करने योग्य आचरण शामिल हो सकता है।

यथोचित विश्वास संदेह से अधिक होता है। इस विश्वास के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ आधार होना चाहिए। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह अफवाह या अनुमान से अधिक होना चाहिए।

⚠ यदि संगठन के प्रमुख को शिकायत करने योग्य आरोप पर विश्वास न हो, तो भी उन्हें आयोग को सूचित करना आवश्यक होता है।

जब शिकायत करने योग्य आरोप लगाया जाता है, तो क्या होता है?

यदि किसी संगठन के प्रमुख को अपने किसी कर्मी या स्वयंसेवक के विरुद्ध शिकायत करने योग्य आरोप के बारे में पता चलता है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से ये कार्य करने होंगे:

1. आयोग को (यदि आपराधिक व्यवहार का संदेह है, तो विक्टोरिया पुलिस को) तथा कुछ मामलों में बाल संरक्षण (Child Protection) को सूचित करना
2. आरोप की जाँच सुनिश्चित करना (यदि आवश्यक हो, तो विक्टोरिया पुलिस से स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के बाद)
3. जाँच के परिणाम के आधार पर निष्कर्ष बनाना और कार्यवाही करना
4. आयोग को निष्कर्ष उपलब्ध कराना।

रिपोर्ट करने योग्य आरोप की प्रक्रिया

रिपोर्ट करने योग्य आरोप की जाँच में ये कदम शामिल होने चाहिए:

- आरोप प्राप्त करना और उसका आकलन करना
- जाँच स्थापित करना और उसका संचालन करना
- प्रमाणों का आकलन करना
- जाँच को अंतिम रूप देकर रिपोर्ट तैयार करना
- निष्कर्ष बनाना
- निष्कर्षों के उत्तर में कार्यवाही करना।

जाँच का संचालन

इन निकायों द्वारा शिकायत करने योग्य आरोप की जाँच की जा सकती है:

- आंतरिक स्टाफ का सदस्य (उदाहरण के लिए, मानव संसाधन द्वारा)
- स्वतंत्र बाहरी अन्वेषक
- नियामक
- आयोग।

रिपोर्ट करने योग्य आरोप की जाँच में सामान्य रूप से ये कार्य शामिल होंगे:

- संगत भौतिक प्रमाण एकत्र करना
- प्रासंगिक गवाहों के साथ साक्षात्कार करना, जिसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं
- आरोप के विषय के साथ साक्षात्कार करना।

क्या आप किसी आरोप के विषय हैं?

यदि आप शिकायत करने योग्य आरोप के विषय बन जाते/जाती हैं, तो निम्नलिखित अनुभाग मार्गदर्शन देते हैं।

प्रक्रियात्मक निष्पक्षता

इस योजना का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि यदि आप शिकायत करने योग्य आरोप के/की विषय हैं, तो आप अपने व्यवहार की जाँच में प्राकृतिक न्याय प्राप्त करने के/की अधिकारी हैं। प्राकृतिक न्याय को अक्सर प्रक्रियात्मक निष्पक्षता कहा जाता है।

शिकायत करने योग्य आरोप की प्रक्रिया को *निष्पक्ष* एवं *समुचित* तरीके से और अनुचित देरी के बिना करना महत्वपूर्ण है।

यदि आपके बारे में शिकायत करने योग्य आरोप लगाया गया है, तो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के अंतर्गत आपको सीधे अधिसूचित करना अनिवार्य नहीं है।

अन्वेषक को जाँच की अखंडता और उसमें शामिल सभी लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए सबसे उपयुक्त और यथाशीघ्र अवसर पर आपको सूचित करने के बारे में विचार करने की आवश्यकता होगी।

आपको शिकायत करने योग्य आरोप के बारे में सूचाना देने में अनुचित देरी नहीं होनी चाहिए।

सीमित मामलों में, उदाहरण के लिए, जब कोई आरोप स्पष्ट रूप से झूठा होता है और आपको शामिल किए बिना आपके पक्ष में निपटाकर हल किया जा सकता है, तो हो सकता है कि आपको उस आरोप के बारे में न बताया जाए।

आपको आरोप पत्र के माध्यम से आरोप के बारे में सूचित किया जा सकता है। आरोप पत्र एक लिखित पत्र होता है, जिसमें आपके विरुद्ध लगाए गए शिकायत करने योग्य आरोपों का स्पष्ट विवरण होता है।

यदि आरोप पत्र दिया जाता है, तो पत्र में प्रत्येक आरोप को स्पष्ट रूप से नियत किया जाना चाहिए और आपके लिए पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि आप सही तरीके से समझ सकें कि आरोप क्या है(हैं) और आप उनपर प्रतिक्रिया कर सकें।

आरोप पत्र में ये शामिल हो सकते हैं:

- कथित रूप से क्या आचरण घटित हुआ
- कथित रूप से आचरण कब और कहाँ घटित हुआ
- कथित आचरण में कौन शामिल था।

जब मुझपर शिकायत करने योग्य आरोप लगाया जाता है, तो क्या होता है?

चाहे आपको आरोप पत्र प्राप्त हो या न हो, अथवा आपको रिपोर्ट करने योग्य आरोप के बारे में किसी अन्य तरीके से सूचित किया जाए या न किया जाए, किंतु सामान्य रूप से आपको इन बातों की उम्मीद करनी चाहिए:

- आपको आरोप के विवरण के बारे में बताया जाना
- आरोप पर विचार करने के लिए उचित समय दिया जाना; इसमें आपकी ओर से ऐसे व्यक्तियों के सुझाव भी शामिल हैं, जिनके बारे में आप सोचते/सोचती हैं कि आरोप के हिस्से के रूप में उनका साक्षात्कार किया जाना चाहिए
- यदि आपका साक्षात्कार किया जाता है, तो अपने साथ किसी उपयुक्त समर्थन व्यक्ति की उपस्थिति का निवेदन करना
- शिकायत करने योग्य आरोप और किसी भी विश्वसनीय, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रतिकूल जानकारी के बारे में मौखिक या लिखित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए आमंत्रित किया जाना
- निष्पक्ष अन्वेषक का शामिल होना।

जाँच के हिस्से के रूप में आपके पास भी किसी वकील, संघ या अन्य प्रतिनिधि निकाय से सलाह और/या प्रतिनिधित्व लेने के अधिकार हो सकते हैं।

⚠ अपने संस्करण को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और/या साक्षात्कार में भाग लेने से आप आरोप पर प्रतिक्रिया करने में समर्थ हो सकते/सकती हैं। अपने संस्करण को प्रस्तुत करने से पहले आप सलाह लेने का चयन कर सकते/सकती हैं, क्योंकि यदि आरोप प्रमाणित हो जाता है तो इसके कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

स्टैंड डाउन (अस्थायी तौर पर नौकरी से हटाना), निलंबन और अन्य कार्यवाहियाँ

कुछ संगठन जाँच करने की अवधि में आपको स्टैंड डाउन या निलंबित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपके संगठन के प्रमुख यह निर्णय लेते समय बच्चों और उनके संगठन के अन्य लोगों के लिए खतरों जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार करते हैं।

संगठन ये कार्य भी कर सकते हैं:

- आपको बच्चों के साथ संपर्क करने से अवरुद्ध करना
- आपको अन्य कर्तव्यों के लिए स्थानांतरित करना
- आपके लिए कार्यस्थल पर अतिरिक्त सहायता और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना
- आपको इस मामले के बारे में अन्य कर्मियों या स्वयंसेवकों के साथ चर्चा न करने का निर्देश देना
- आपसे उपकरण वापिस देने का निवेदन करना या दस्तावेजों की सुलभता निरस्त करना।

प्रत्येक संगठन को इन कार्यवाहियों के बारे में विभिन्न कानून और नीतियाँ लागू करनी होगा। यदि आपको और अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो अपने संगठन से पूछें।

प्रमाणों का आकलन

संभावनाओं का संतुलन - प्रमाण का मापन

शिकायत करने योग्य आरोपों के संदर्भ में प्रमाण स्थापित करने के लिए आवश्यक निश्चितता और साक्ष्यों के स्तर को 'संभावनाओं का संतुलन' कहा जाता है। ये मानक आपराधिक मामलों के लिए आवश्यक मानकों से कम है, जिनमें आरोप को यथोचित संदेह से परे सिद्ध करने की अनिवार्यता होती है। इसलिए, जाँच करते समय अन्वेषक इस बारे में विचार करता है कि क्या शिकायत करने योग्य आचरण के **घटित होने की संभावना इसके घटित न होने की संभावना** से अधिक है।

जाँच को अंतिम रूप देना

आपके लिए प्रतिक्रिया करने का अवसर

आपके बारे में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष बनाने या आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोप के बारे में आपको टिप्पणी करने और इसपर प्रतिक्रिया करने का अवसर प्रदान किया जाए। जाँच को अंतिम रूप देने से पहले इस प्रतिक्रिया पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

आयोग को अधिसूचना

आपकी प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद संगठन अपनी जाँच के निष्कर्ष (और निष्कर्षों के कारण) तैयार करेगा। इन्हें आयोग को उपलब्ध कराया जाता है।

आपको परिणाम के बारे में भी बताया जाना चाहिए, विशेषकर यदि वह परिणाम प्रतिकूल हो। किंतु हो सकता है कि आपको हमेशा संपूर्ण विस्तृत जाँच निष्कर्ष, रिपोर्टें और कारण प्राप्त न हों। इनमें बच्चों के बारे में संवेदनशील जानकारी या निजी सूचना शामिल होने के कारण ऐसा हो सकता है।

संभावित निष्कर्ष और कार्यवाही

जाँच के अंत में कई तरह के संभावित निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आयोग का सूचना पत्रक 8 - जाँच निष्कर्ष देखें।

संक्षेप में, यदि:

- प्रमाणों से पता चलता है कि शिकायत करने योग्य आचरण के घटित होने की संभावना इसके घटित न होने की संभावना से अधिक थी, तो एक **प्रामाणिक** निष्कर्ष बनाया जा सकता है
- यह सुझावित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि शिकायत करने योग्य आचरण के घटित होने की संभावना इसके घटित न होने की संभावना से अधिक थी, तो एक **अप्रामाणिक - अपर्याप्त साक्ष्य** का निष्कर्ष बनाया जा सकता है
- यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि शिकायत करने योग्य आचरण घटित हुआ था या नहीं हुआ था, तो एक **अप्रामाणिक - भारयुक्त साक्ष्य के अभाव** का निष्कर्ष बनाया जा सकता है
- शिकायत करने योग्य आचरण के घटित न होने के प्रबल साक्ष्य उपस्थित हैं, तो एक **निराधार** निष्कर्ष बनाया जा सकता है
- यदि आचरण घटित हुआ था, लेकिन यह उपरोक्त सूचीबद्ध शिकायत करने योग्य आचरण में से किसी भी प्रकार के अनुरूप नहीं है, तो **योजनातीत आचरण** का निष्कर्ष बनाया जा सकता है।

संगठन इन निष्कर्षों के आधार पर कई तरह की कार्यवाहियाँ कर सकते हैं।

निष्कर्ष और कार्यवाही से असहमति

यदि आप किसी निष्कर्ष अथवा निष्कर्ष के प्रत्युत्तर में संगठन द्वारा की गई कार्यवाही से असहमत हैं, तो आपको अपनी आंतरिक संगठनात्मक विवाद समाधान प्रक्रियाओं का संदर्भ लेना चाहिए।

आपको इन संसाधनों से सलाह, समर्थन या मार्गदर्शन प्राप्त करने के बारे में भी विचार करना चाहिए:

- अपने व्यापार संघ (ट्रेड यूनियन) से, ऑस्ट्रेलियाई संघ (Australian Unions) को 1300 486 466 पर फोन करके या विक्टोरियाई ट्रेड्स हॉल परिषद (Victorian Trades Hall Council) को (03) 9659 3511 पर फोन करके
- किसी वकील से; इन माध्यमों से संपर्क करें:

- विक्टोरिया विधि संस्थान (Law Institute of Victoria), जो आपको वकील का संदर्भ दे सकते हैं
- जॉबवॉच रोजगार अधिकार कानूनी केंद्र (JobWatch Employment Rights Legal Centre), 1800 331 617 (विक्टोरिया के ग्रामीण क्षेत्र) अथवा (03) 9662 1933 (मेलबर्न मेट्रो), जो निःशुल्क और गोपनीय टेलीफोन जानकारी एवं कर्मियों के लिए रेफरल सेवा प्रदान करते हैं
- सामुदायिक कानूनी केंद्र संघ (Federation of Community Legal Centres), जो आपके पास स्थित सामुदायिक कानूनी केंद्र खोजने में आपकी सहायता कर सकते हैं

- निष्पक्ष कार्य लोकपाल (Fair Work Ombudsman), जो आपके कार्यस्थल के अधिकारों और दायित्वों के बारे में आपको जानकारी और सलाह दे सकते हैं
- निष्पक्ष कार्य आयोग (Fair Work Commission), जो ऐसे कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें अपने रोजगार से निकाल दिया गया है और जो अनुचित बर्खास्तगी, सामान्य सुरक्षा बर्खास्तगी या गैर-कानूनी कार्य-समाप्ति का आवेदन करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

बच्चों के साथ कार्य के लिए जाँच (Working with Children Check) और विक्टोरियाई शिक्षण संस्थान (Victorian Institute of Teaching) के लिए रेफरल

यदि आपको रिपोर्ट करने योग्य आचरण के लिए दोषी पाया जाता है, तो आपके संगठन द्वारा की जा सकने वाली किसी भी कार्यवाही के अलावा, कुछ परिस्थितियों में आयोग आपकी बच्चों के साथ कार्य करने की जांच (Working with Children Check) के पुनराकलन के लिए आपके आचरण को बच्चों के साथ कार्य करने की जांच विक्टोरिया (Working with Children Check Victoria) के पास रेफर कर सकता है। यदि आपके पास बच्चों के साथ कार्य करने के लिए जाँच कार्ड (Working with Children Check card) नहीं है, तो भी यह रेफरल किया जा सकता है। यदि आप एक पंजीकृत शिक्षक/शिक्षिका हैं, तो सभी रिपोर्ट करने योग्य आचरण के आरोपों के निष्कर्षों के बारे में वीआईटी (VIT) को सूचित किया जाएगा।

⚠ जब आयोग को किसी पंजीकृत शिक्षक/शिक्षिका के बारे में शिकायत करने योग्य आरोप प्राप्त होता है, तो उनके लिए वीआईटी (VIT) को सूचित करना अनिवार्य है।

कर्मियों या स्वयंसेवकों द्वारा की गई शिकायतें

यदि आपको यथोचित विश्वास है कि संगठन में किसी ने रिपोर्ट करने योग्य आचरण या ऐसा दुराचार किया है जिसमें रिपोर्ट करने योग्य आचरण शामिल हो सकता है, तो आप अपने संगठन या आयोग के प्रमुख को सूचित कर सकते/सकती हैं। आयोग को सूचित करना आपके मौजूदा रिपोर्टिंग दायित्वों का स्थान नहीं लेता है।

उदाहरण के लिए, आपको ये कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है:

- यदि आपको यथोचित विश्वास है कि किसी बच्चे को शारीरिक क्षति या यौन शोषण से संरक्षण की आवश्यकता है, तो बाल संरक्षण (Child Protection) के समक्ष शिकायत करना।
- यदि कोई आपराधिक कृत्य होने की संभावना है, तो विक्टोरिया पुलिस के समक्ष शिकायत करना
- यौन शोषण के खतरों को दूर करने या कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाना, विशेषकर यदि आप एक आधिकारिक पदवी में हैं।

ध्यान दें: यदि कोई व्यक्ति आयोग के समक्ष सद्भाव में शिकायत करने योग्य आरोप लगाता है, तो यह योजना उसे कुछ कानूनी सुरक्षाएँ प्रदान करती है।

और अधिक जानकारी

बच्चों और युवा लोगों के लिए आयोग (Commission for Children and Young People)

बाल सुरक्षा मानक (Child Safe Standards) योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करने या अधिसूचना देने के उद्देश्य से आप वेबसाइट, ईमेल या टेलीफोन का उपयोग कर सकते/सकती हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

वेबसाइट: ccyp.vic.gov.au
ई-मेल: contact@ccyp.vic.gov.au
फोन: (03) 8601 5281

यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो कृपया अनुवाद और दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Service) को 13 14 50 पर कॉल करें और उन्हें बच्चों और युवा लोगों के लिए आयोग (Commission for Children and Young People) से (03) 8601 5281 पर संपर्क करने के लिए कहें।